बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका सं0–17/ए 1–41/2011(खण्ड) · 373 (17) /पटना, दिनांक– 13/3/13

विभागीय शिकायत निराकरण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के समक्ष डा0 इन्द्रशेखर ठाकुर, सह–प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा डा0 शैलेश कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग की नियुक्ति एवं सर्जरी विभागीवरीयता सूची में नाम प्रविष्टि के सम्बन्ध में परिवाद पत्र दिया गया था। इस परिवाद के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 49(17) दिनांक–11.01.12 द्वारा उत्तर उपलब्ध कराये जाने पर इस मामले को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष ले जाये जाने पर विधि विभाग बिहार के राज्य मुकदमा कोषांग के पत्रांक–5760/जे0दि0 26.07.12 द्वारा परिवादी के द्वारा उठाए गये मामले पर पुनः निर्णय लेकर सभी संबंधित को निर्णय की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

अतः परिवादी डा0 इन्द्रशेखर ठाकुर के आवदेन दिनांक–12.10.11 में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच हेतु निम्न प्रकार विभागीय जाँच दल गठित किया जाता है –

(1) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

(2) विधि पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

(3) प्रशासी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

3 – जाँच दल एक पक्ष में अपना प्रतिवेदन सीधे प्रधान सचिव को प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

(सांवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक– 373 (17) / पटना, दिनांक– 13/3/13

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी को परिवाद पत्र दिनांक–12.10.11 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासी प्रदाधिकारी

D/Balram sir/Adhisuchna

संख्या-17/ए1-41/2011 - 49(17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

डा0 अजीत बहादुर सिंह,
सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
डा0 इन्दशेखर ठाकुर,
सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
डा0 विमल मुकेश,
सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
[illegible] सिंह,
सहायक-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
डा0 जैनेन्द्र कुमार,
सहायक-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
डा0 राम नरेश यादव,
सहायक-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।
डा0 विनोद कुमार,
सहायक-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चि0महा0, पटना ।

पटना, दिनांक - 11/01/12

विषयः- विभागीय शिकायत निराकरण समिति के विचारार्थ आपके द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर सुनवाई ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न माध्यमों से विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई दिनांक 09.12.2011 को विभागीय शिकायत निराकरण समिति द्वारा की गई, जिसमें आप सभी को विस्तृत सुनवाई का मौका दिया गया । सुनवाई के दौरान संक्षेप में निम्न तथ्य अभ्यावेदन के आधार पर रखे गये ।

सुनवाई के पश्चात निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित किया जाता है :-

1. दिनांक 08.07.2008 को प्रकाशित सर्जरी विभाग के अंतिम वरीयता सूची में क्रमांक 24ए पर डा0 शैलेश कुमार सिन्हा का नाम दिनांक 14.09.11 की अधिसूचना द्वारा जोडे जाने के संबंध में - इनका नाम आपति आमंत्रित कर विधिवत ढंग से जोडा गया है जो निम्न तथ्यों पर अधारित है - इनकी शैक्षणिक योग्यता एम0एस0 (जेनरल सर्जरी) के आधार पर इनका पदस्थापना रजिस्ट्रार यूरोलॉजी, सर्जरी विभाग में, पुनः सहायक प्राध्यापक, यूरोलॉजी सर्जरी विभाग तथा वर्ष 1994 में सहायक प्राध्यापक, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एवं टिशू टाइपिंग के रिक्त पद के विरूद्ध किडनी ट्रांसप्लांट इकाई सर्जरी विभाग में हुयी है जिससे स्पष्ट है कि डा0 सिन्हा सर्जरी विभाग के ही चिकित्सक शिक्षक है । अतः इस संबंध में अब उठायी गयी आपत्ति पोषणीय नहीं प्रतीत होती है ।

2. अनु० जाति के कनीय सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर आवेदक की वरीयता को नजरअंदाज कर प्रोन्नति दिया जाना - विभागीय नियमों के आलोक में स्वीकृत रोस्टर के अनुसार प्रोन्नति दी गई है । डा0 उमा शंकर सिंह द्वारा दायर समादेश याचिका संख्या-16121/2011 में दिनांक 11.11.2011 को पारित न्याय निर्णय के पश्चात ही अधिसूचना निर्गत की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

3. नियमावली-2008 के आलोक में जेनरल सर्जरी एवं सुपर-स्पेशलिटी विभाग में अलग-अलग वरीयता सूची प्रकाशित कर प्रोन्नति देने के संबंध में - इस संबंध में मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में तीन सुपर-स्पेशलिटी विभाग यथा- यूरोलॉजी, शिशु सर्जरी, न्यूरोसेन्ट्रोलॉजी नामक सुपर-स्पेशलिटी विभाग का गठन प्रक्रियाधीन है । उल्लेखनीय है कि एक आवेदक डा0 ठाकुर द्वारा माननीय न्यायालय में समादेश याचिका संख्या-20096/10 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 15.11.11 को पारित निर्णय में यह उल्लेख किया गया है कि सर्जरी विभाग के लिए दिनांक 08.07.08 के आदेश द्वारा प्रकाशित अंतिम वरीयता सूची के सुपर-विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक शिक्षकों को सहायक प्राध्यापक के पद से सह-प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति, अगर पद उपलब्ध हो तो पैतृक विभाग में ही दिया जायेगा । तदनुसार सुपर-स्पेशलिटी विभाग के गठन के पश्चात इसके आलोक में वरीयता सूची का अलग-अलग प्रकाशन एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

14

(177)

प्रेषक:- डॉ० अई० एस० ठाकुर
सह प्राध्यापक जेनरल सर्जरी विभाग
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना

क्र. 3463 दिनांक 13-10-11
अग्रसारित

सेवा में,

13/10/11
प्राचार्य
पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना

अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग
शिकायत निवारण समिति
बिहार, पटना।

विषय:- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 938(17) दिनांक 14/09/2011 द्वारा डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा का नाम सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग की वरीयता सूची में अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन।

महोदय,

मैं यह अभ्यावेदन बिहार राज्य मुकदमा नीति के तहत स्वा० विभागीय ज्ञापांक 189(15) दिनांक 01.09.2011 द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ समर्पित कर रहा हूँ।

डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा को स्वा० विभागीय अधिसूचना संख्या-93(17) दिनांक 21.02.1994 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में लंबित याचिका संख्या सी० डब्लू० जे०सी० 3949/1991 में निर्णय के शर्तधीन, सहायक प्राध्यापक, युरोलौजी के 1350 शैक्षणिक पैनल से पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में किडनी ट्रांसप्लान्ट यूनिट (सर्जरी विभाग) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक ट्रांसप्लान्ट इम्यूनोलोजी एवं टीसू टाईपिंग विज्ञ पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया। डॉ० सिन्हा ने उक्त पद पर दिनांक 12.03.1994 को योगदान कर लिया तथा अब तक

प्रेषक:- डॉ० आई० एस० ठाकुर
सह प्राध्यापक जेनरल सर्जरी विभाग
पटना मेडिकल कॉलेज, पटना।

3463 दिनांक 13-10-11
प्रसारित

सेवा में,

अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग
शिकायत निवारण समिति
बिहार, पटना।

13/10/11
प्राचार्य
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
13/10/11

विषय:- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 938(17) दिनांक 14/09/2011 द्वारा डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा का नाम सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग की वरीयता सूची में अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन।

महाशय,

मैं यह अभ्यावेदन बिहार राज्य मुकदमा नीति के तहत स्वा० विभागीय ज्ञापांक 189(13) दिनांक 01.09.2011 द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ समर्पित कर रहा हूँ।

डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा को स्वा० विभागीय अधिसूचना संख्या-73(17) दिनांक 21.02.1994 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में लंबित याचिका संख्या सी० डब्लू० जे०सी० 6949/1991 में निर्णय के शर्ताधीन, सहायक प्राध्यापक, युरोलौजी के 1990 शैक्षणिक पैनल से पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में किडनी ट्रांसप्लान्ट यूनिट (सर्जरी विभाग) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक ट्रांसप्लान्ट इम्यूनोलोजी एवं टीसू टाइपिंग रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया। डॉ० सिन्हा ने उक्त पद पर दिनांक 22.02.1994 को योगदान कर लिया तथा अब तक

उस पद पर कायम है। डॉ सिन्हा की यह पदस्थापना निम्नांकित कारणों से अवैध, अनियमित एवं सरकारी नुमाइन्दों की मिलीभगत से धोखाधड़ी की अभूतपूर्व मिसाल है:-

(1) सी० डब्लू० जे० सी० 6949/91 में पारित माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के फैसले की छाया प्रति संलग्न है। जिसके अवलोकन से विदित होगा कि यह एक Money Suit का मामला है तथा डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा की पदस्थापना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्पष्ट है कि डॉ० सिन्हा द्वारा Forgery का तरीका अपनाया गया तथा गलत कागजात समर्पित कर अपनी पदस्थापना कराने में सफलता प्राप्त की। इसमें स्वा० विभाग के स्तर पर भी भ्रष्टाचार तथा अनैतिक आचरण की आशंका स्पष्टतः परिलक्षित होती है क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के फैसले की सही स्थिति की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त किये बिना अनुचित लाभ प्रदत्त किया गया। इस सम्बन्ध में डॉ० सिन्हा के विरुद्ध आरोपों की जांच पूर्व से चल रही है तथा डॉ० सिन्हा से माननीय न्यायालय के फैसले की प्रति मांगे जाने पर वे समर्पित नहीं कर स्वा० विभाग के स्तर पर अपनी मिलीभगत बनाये हुए हैं। इनके विरुद्ध जब कोई अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त होता है विभाग द्वारा उनकी नयी संचिका खोल दी जाती है तथा पुरानी संचिका निरस्त कर रखी जाती है। Forged Document समर्पित करने का आरोप डॉ० सिन्हा के विरुद्ध स्वतः प्रमाणित हैं तथा इस आधार पर उनके इस पद पर पदस्थापन को अविलम्ब रद्द करना एवं निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाकर दण्डित करना अपेक्षित है।

(2) यह टीचू टाइपिंग का पद पैथोलोजी का है तथा यूरोलौजी पैनल से इस पर पदस्थापन अनियमित एवं अवैध है

(3) स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 67(17) दिनांक 21.01.2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित सर्जरी विभागों की संयुक्त औपबंधिक वरीयता सूची में डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा का नाम क्रमांक 24 पर सम्मिलित किया गया था परन्तु

उनके विरुद्ध मैंने तथा डॉ० अशोक कुमार सिंह ने आपत्ति अध्यावेदन समर्पित किया था जिस आलोक में विभागीय समिति द्वारा दिनांक 19.03.2008 की बैठक में लिये गये निर्णय का उद्धरण निम्नांकित हैं।

"डॉ० सिंह की प्रथम आपत्ति सही प्रतीत होती है। क्योंकि अधि० संख्या 73 (17) दिनांक 21.02.1994 द्वारा डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा जिन्हें सहायक प्राध्यापक ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एवं टीशु टाइपिंग के पद पर नियुक्त किया गया है जो पैथोलोजी विशिष्टता का पद है इस आलोक में इनका नाम सूची से हटाने की अनुशंसा की जाती है। (छाया प्रति संलग्न)

(4) स्वा० वि० पत्रांक 868 (17) दिनांक 08/07/2008 द्वारा अंतिम रूप से वरीयता निर्धारण पश्चात प्रकाशित एवं प्रचारित सूची की (छाया प्रति संलग्न है) जिसके अवलोकन से विदित होगा कि डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा का नाम वरीयता सूची से हटा दिया गया।

(5) डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा ने सर्जरी विभाग की वरीयता सूची जो अन्तिम रूप से निर्धारित हो चुकी थी उसमें अपना नाम शामिल करने हेतु जुलाई 2008 में अपना अध्यावेदन स्वा० विभाग में भेजा जिस पर स्वा० विभागीय स्तर पर एक अलग नयी संचिका 17/ए।-एस-09/2008 खोलकर विचार करना प्रारंभ किया गया। उक्त संचिका की प्रति मैंने सूचना प्राप्ति अधिकार नियमावली के तहत प्राप्त की है। मैं चाहूंगा कि उक्त मूल संचिका की समीक्षा की जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार डॉ० सिन्हा को गलत तरीके से मदद करने का तरीका अपनाया गया जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहा हूं।

(क) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० 6749/91 में पारित फैसले की प्रति पूर्व की मूल संचिका में उपलब्ध थी तथा संचिका 17/ए।-एस-09/2008 में भी पृष्ठ 33-32/ए० पर उपलब्ध है फिर भी इसे नजरअंदाज कर इसकी प्रति मंगाने का बहाना बनाया गया है. साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि मामला

बहुत पुराना हो गया है। उल्लेखणीय है कि Forgey का आरोप वर्षों से स्वा० विभागीय स्तर पर मिलीभगत से दबाकर रखा गया है तथा डॉ० सिन्हा को उक्त पद पर बनाये रखने की गहरी साजिश बरकरार है।

(ख) डॉ० सिन्हा के अभ्यावेदन पर उनके विरुद्ध सभी तथ्यों को छुपाकर पुन: उनका नाम वरीयता सूची में शामिल करने की साजिश रची गयी तथा विभागीय अधिसूचना सं. 938 (17) दिनांक 14/09/2011 द्वारा उनका नाम पुन: वरीयता सूची के क्रमांक 24 पर अंतिम रूप से निर्धारित कर शामिल किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस अधिसूचना में यह उल्लेखित है कि विभागीय पत्रांक 679 (17) दिनांक 05.07.2011 द्वारा औपबंधिक रूप से डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा का नाम वरीयता सूची के क्रमांक 24 पर शामिल किये जोन के विरुद्ध कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। स्वा० विभागीय स्तर पर पत्रांक 679 (17) दिनांक 05.07.2011 को निर्गत दिखाकर प्राचार्य को भेजा तक नहीं किया गया ताकि कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हो। प्राचार्य, पटना मे० कॉलेज के पत्रांक 3380 दिनांक 29.09.2011 (छाया प्रति संलग्न) से विदित होगा कि स्वा० वि० पत्रांक 679 (17) दिनांक 05/07/2011 उनके कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ। स्पष्ट है कि उनके कार्यालय में उक्त पत्र प्राप्त होने पर प्रचारित किया जाता तो हमें आपत्ति अभ्यावेदन देने का अवसर प्राप्त होता परन्तु ऐसा जानबूझकर डॉ० सिन्हा को मदद करने का अनैतिक तरीका अपनाया गया।

अत: मेरा निवेदन है कि मेरे इस अभ्यावेदन में वर्णित बिन्दुओं पर दो माह के अन्दर निर्णय लेकर मुझे अवगत कराया जाये अन्यथा मैं माननीय न्यायालय की शरण लेने को विवश हो जाऊँगा।

संक्षेप में पुन: मेरा विनम्र निवेदन है कि-

(1) डॉ० शैलेश कुमारे सिन्हा का नाम सर्जरी विभाग की वरीयता सूची से हटाया जाय।

(2) माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले का Foged Doomuent

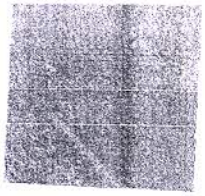

समर्पित कर शैक्षणिक पद प्राप्त करने के लिये डॉ० शैलेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध अनैतिक आचरण का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। अतः इस आधार पर बिहार सेवा संहिता के प्रासंगिक नियम के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत होती है।

पुनश्च:- ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षासूची में माननीय सं०मं० स्वास्थ्य का भी अनुमोदन नहीं लिया गया है।

दिनांक:-

(डॉ० इन्द्रशेखर ठाकुर)